

COVID 19 स्कोलरशिप के सम्बन्ध में नियमावली

1. विद्यार्थी की आर्थिक जानकारी उनके अभिभावक से एकत्र की जानी चाहिए।
2. अभिभावकों की वार्षिक आय COVID 19 के पहले एवं बाद में जो अन्तर आया है वह वे स्पष्ट करें।
3. जोब प्रोफाइल बताए तथा साथ में यह भी स्पष्ट करें की उनके परिवार में कितने सदस्य कार्य करते है जो अर्निंग है।
4. विद्यार्थी के कितने भाई बहन वर्तमान में अध्ययनरत है।
5. विद्यार्थी के द्वारा जमा कराई फीस की व्यवस्था उन्होंने कहाँ से की है, कारण स्पष्ट करें।
6. उनके द्वारा क्या कोई और स्कोलरशिप ली जा रही है, उसका उनको अपडेटेकिंग देना पडेगा (कि वो कोई भी और स्कोलरशिप का लाभ नहीं ले रहे है)
7. विद्यार्थी को कक्षा में उपस्थिति के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी।
8. जिन विद्यार्थी के पास आय प्रमाण पत्र नहीं है वे इसका कारण एप्लीकेशन में प्रस्तुत करेंगे कि क्यों उनका आय प्रमाण पत्र नहीं बन पाया।